वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर–222003

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित)
(NAAC A^{+} accredited University)

पत्रांक : 1395 /प्रवेश सेल/2026 दिनांक : 01 सितम्बर .2026

एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2026–28
में प्रवेश हेतु प्रथम काउंसलिंग सूचना

एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है, जो विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रथम काउंसिलिंग दिनांक 07 सितम्बर 2026 (दिन–सोमवार) को विश्वविद्यालय परिसर के विश्वश्वरैया हाल, यू.एन.एस. इंजीनियरिग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सम्पन्न करायी जायेगी। जिसमें निम्नलिखित रैंक के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं–

सामान्य रैंक	समय
रैक 001 से 200 तक	10:00 am से 01:00 pm तक
रैक 201 से 370 तक	01:30 pm से 04:00 pm तक

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रारूप "क" विश्वविद्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड एवं पूरित कर, काउंसिलिंग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पालन करते हुये काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित हों। समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.vbspu.ac.in पर उपलब्ध है।

कुलसिचव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषति–

1. समन्वयक/सदस्य–एम.एड.प्रवेश समिति 2026–28।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, समस्त एम.एड. संचालित महाविद्यालय।
3. चीफ प्राक्टर, विश्वविद्यालय परिसर को उक्त आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था हेतु।
4. परीक्षा नियन्त्रक ।
5. प्रभारी, विश्वश्वरैया हाल, यू.एन.एस. इंजीनियरिग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, वी.बी.एस.पू.वि.वि., जौनपुर।
6. प्रभारी–विश्वविद्यालय वेबसाईट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना, काउंसिलिंग के दिशा–निर्देश एवं संलग्न प्रपत्र "क" तथा एम.एड. संचालित महाविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उचित स्थान पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
7. मीडिया प्रभारी, विश्वविद्यालय परिसर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के विभिन्न संस्करणों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. निजी सचिव–कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
9. आशुलिपिक–वित्त अधिकारी।

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर–222003

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित)
(NAAC A+ accredited University)

दिनांक : 01 सितम्बर .2026

एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2026–28

प्रथम काउंसिलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये जारी दिशा–निर्देश

एम.एड. सत्र 2026–28 में प्रवेश हेतु प्रथम काउंसिलिंग दिनांक 7 सितम्बर (दिन–सोमबार) को विश्वविद्यालय परिसर के विश्वश्वरैया हाल, यू.एन.एस. इंजीनियरिग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय परिसर, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पन्न होगी–

सामान्य रैंक	समय
रैक 001 से 200 तक	10:00am से 01:00 pm तक
रैक 201 से 370 तक	01:30pm से 04:00 pm तक

अभ्यर्थी निम्नलिखित निर्देशानुसार उक्त निर्धारित तिथि, स्थान पर समय से उपस्थित हो–

1. काउंसिलिंग ऑफलाईन सम्पन्न होगी। काउंसिलिंग में उपस्थिति होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रात्रता परीक्षा (बी.एड. व समकक्ष) उत्तीर्ण कर चुके है।
2. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि काउंसलिंग तिथि को विश्वविद्यालय के लेखा विभाग के नगद काउंटर पर काउंसिलिंग शुल्क रू 500=00 (रू पांच सौ मात्र) नगद जमा कर, नगद जमा की रसीद प्राप्त कर लें तथा नगद जमा की रसीद की प्रति के साथ काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित हों।
3. अभ्यार्थियों के लिये प्रपत्र "क" (शपथ–पत्र) जो विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रदर्शित है, को डाउनलोड कर पूरित करते हुये दो सेट में निम्नलिखित क्रमानुसार अभिलेखों की मूल एवं छाया प्रति के साथ काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित हो–
 A– प्रपत्र "क", B–नगद जमा की रसीद, C–काउंसलिंग पत्र D–आनलाईन आवेदन पत्र, E–प्रवेश पत्र, F–शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ। G–आरक्षरण सम्बन्धी प्रमाण H–पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो आवश्यकतानुसार (प्रपत्र "क" पर चस्पा करना है) व अन्य प्रपत्र।
 नोट–सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रपत्र ही मान्य होगा। संलग्न छाया प्रति को अभ्यर्थी स्व–प्रमाणित करे।
4. निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसिलिंग हेतु स्वयं उपस्थित नहीं होने एवं अभिलेखों (मूल एवं छाया प्रति) को प्रस्तुत नही करने पर अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु काउंसलिंग से वंचित किया जा सकता है एवं उसके स्थान पर अगले क्रम के रैंक के अभ्यर्थी को काउंसिलिंग का अवसर प्रदान किया जा सकता है
5. काउंसिलिंग में महाविद्यालय आवन्टित होने के बाद महाविद्यालय में प्रवेश प्रवेश के समय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित मूल चिकित्सा प्रमाण–पत्र आवन्टित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
6. प्रवेश समिति द्वारा काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि की घोषणा कर दी जायेगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि काउंसिलिंग के उपरान्त आवन्टित महाविद्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर ले, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं प्रवेश हेतु पुनः अवसर प्रदान नही किया जायेगा।

अभ्यर्थी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

1/9/26

कार्यालय प्रभारी
प्रवेश सेल

प्रपत्र "क"

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर–222003

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित)

(NAAC A+ accredited University)



दिनांक :

(एम.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश सत्र 2026–28)

काउंसलिंग हेतु पंजीकरण एवं शपथ–पत्र (विश्वविद्यालय / महाविद्यालय प्रति हेतु)

ऑन लाईन आवेदन पंजिकरण संख्या रैंक.....सब केटेगरी रैंक.....

काउन्सलिंग शुल्क रू 500=00 रसीद संख्या.....

अनुक्रमांक जन्म तिथि:.....

श्रेणी– सामान्य / पिछड़ावर्ग / अनुसूचित / जनजाति)

अन्य श्रेणी– यथा (अन्य प्रान्त / विकलांग / स्वतन्त्रता संगाम सेनानी आदि).....

अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में):

(अभ्यर्थी अपना नाम हाईस्कूल के अंक–पत्र / प्रमाण–पत्र के अनुसार अंग्रजी कैपिटल लेटर में नीचे कालम में अंकित करें)

अभ्यर्थी अपनी फोटो की प्रति ही चस्पा

पिता / पति का नाम : (हाईस्कूल के अंक–पत्र / प्रमाण–पत्र के अनुसार अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में)

अभ्यर्थी के पत्राचार का पूरा पता–.....

.....मो0नं0.....

अभ्यर्थी द्वारा चयनित महाविद्यालय

1.
2.
3.
4.

शैक्षिक अर्हताएं एवं प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणति छायाप्रतियाँ संलग्न करें)

01
02
03
04

अन्य प्रमाण–पत्र यथा जाति / अधिवास आदि (स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें)

01
02
03

घोषणा

मै एतद्द्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त तथ्य, संलग्न प्रपत्र एवं चस्पा फोटो सत्य व सही है। यदि किसी भी स्तर पर किसी प्रपत्र / तथ्य में कोई त्रुटि / हेराफेरी पायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य जो भी कार्यवाही मेरे विरूद्ध की जायेगी, वह मुझे स्वीकार्य होगी। इसके लिये मेरे द्वारा किसी प्रकार का दावा न्यायालय में अथवा अन्यत्र प्रस्तुत नही किया जायेगा।

प्रवेश हेतु आवन्टित महाविद्यालय

.....

अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर

महाविद्यालय प्रतिनिधि

संयोजक / सदस्य